समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

सीताराम पटैरिया तनय स्व. श्री मनीराम पटैरिया
निवासी सत्यम पैलेस, पन्ना तह. व जिला पन्ना ..निगरानीकर्ता

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 474/ अ-68/15-16 में पारित आदेश दिनांक 7/4/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर निगरानीकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र इस आशाय का जारी किया गया कि उसके द्वारा शासकीय भूमि खसरा क्र 1761 के अंश भाग 40X40 पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है जिसका निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया परंतु तहसीलदार पन्ना द्वारा निगरानीकर्ता को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा विधि विपरीत रूप से प्रारंभिक तर्क के दौरान ही निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा निगरानीकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए अपना आदेश पारित किया गया परंतु अपर आयुक्त द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण को पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों के विपरीत जाकर विधि विपरीत आदेश पारित किए है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, म.प्र.भू राजस्व संहिता में वर्तमान हुए नवीन संशोधन के उपरांत किसी भी राजस्व न्यायालय मंडल को छोडकर को प्रकरण को प्रत्यावर्तित किए

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1233/II/16 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.6.16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्र.क. 474/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07/04/2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार पन्ना द्वारा अपने आदेश दिनांक 08/03/2016 के माध्यम से भूमि खसरा नं. 1761 के अंश भाग 40X40 पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा मान्य कर बेदखल किए जाने का व अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है। आवेदक का यह भी तर्क है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा मात्र हल्का पटवारी के प्रतिवेदन व उसकी स्वयं की साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही करते हुए अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है, जबकि स्वयं हल्का पटवारी द्वारा अपनी साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौके की कोई नाप नहीं की गई और न ही सीमांकन किया गया। आवेदक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26/02/2004 को हल्का पटवारी, आर.आई, वन अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति में सीमांकन उपरांत पंचनामा तैयार किया गया था जिसमें आवेदक का शासकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं पाया गया था। 4— उन्होनें यह भी तर्क दिया है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक ने अपने तर्को में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही ग्राह्यता के बिंदु पर सुनवाई उपरांत अपील को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक का तर्क है कि अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर आवेदक के तर्को से पूर्णतः सहमत थे परंतु उनके	

[क्र. प्र. उ.

निग-1233-II-16-जिला-पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता में वर्तमान में हुए संशोधन के विपरीत जाकर प्रत्यावर्तित आदेश पारित किया है। उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 49(3) के परन्तुक में स्पष्ट लेख है कि "अपील प्राधीकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा", उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त सागर को प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं था जिस कारण से उनके द्वारा जो प्रत्यावर्तित आदेश पारित किया गया है वह अवैद्यानिक है। प्रकरण के परिशीलन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा मात्र हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, आवेदक को साक्ष्य का कोई अवसर तहसीलदार पन्ना द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और न ही मौके का कोई पंचनामा, प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश में की है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार पन्ना द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अवैद्यानिक है व विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत है। अतएव मैं अपर आयुक्त सागर, अनुविभागीय अधिकारी पन्ना, तहसीलदार पन्ना के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/04/2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/03/2016 तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा पारित आदेश दि. 08/03/2016 निरस्त किया जाता है। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य